

**राजस्थान सरकार**  
**आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग**

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/

9324-36

जयपुर, दिनांक:

15.7.15

भीलवाड़ा व सिरौही (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर-अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक: सहा./रबी सं. 2071/2015/83293 दि. 24.4.15, 83740 दि. 19.6.15 एवं 83744 दि. 22.6.15 (भीलवाड़ा) एवं प. 14 (12)(295) आ.प्र. एवं सहा./गौशाला/2015/295 दिनांक 23.6.15 (सिरौही) के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1(3) आ.प्र.सआ/ओलावृष्टि/2015/3769-826 दिनांक 30.3.2015 से आपके जिले को रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 15.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 22.6.15 व 23.6.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की जाती है:-

जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम तहसील	पंजीकृत गौशाला का नाम	बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1.	आसीन्द	श्री सवाईभोज गौशाला, आसीन्द	151	70	221
2	आसीन्द	श्री महावीर कामधेनु गौशाला, बोरेला	150	20	170
3	आसीन्द	श्री शांतिनाथ गौशाला, अंटाली	85	28	113
4	आसीन्द	श्री बजरंग गौपाल गौशाला ब्राह्मणों की सरैरी	67	15	82
5	आसीन्द	श्री महावीर गौशाला मोड का निम्बाहेडा	291	77	368
6	कोटडी	श्री देव नारायण गौशाला समिति, कोटडी	190	90	280
7	जहाजपुर	श्री संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति, शक्करगढ़	201	71	272
8	जहाजपुर	श्री गोपाल गौशाला समिति, बनास नदी जहाजपुर	166	66	232
9	जहाजपुर	श्री केसरिया नाथ सुदामा गौशाला समिति अमरगढ़	140	42	182
10	जहाजपुर	श्री भूतेश्वर महादेव गौरक्षा समिति, लुहारीकला	416	149	565
11	माण्डलगढ़	सिंगोली श्याम गौशाला सिंगोली	60	20	80
12	माण्डलगढ़	श्री सांवरिया गौशाला गौ सेवा समिति, लाडपुर	335	50	385
13	माण्डलगढ़	मां भगवती गौशाला, मांडलगढ़	60	9	69
14	माण्डलगढ़	कपिला गोपाल गौशाला काछोला	45	5	50
15	माण्डलगढ़	श्री राम गौशाला, महुआ	27	8	35
16	हुरडा	गोपाल गौशाला, गुलाबपुरा	83	116	199
17	हुरडा	नाकोड़ा भैरव गौशाला, लाम्बा	325	25	350
18	करेडा	श्री महावीर गौशाला एवं पशु रक्षा समिति करेडा	170	80	250
19	करेडा	श्री केशरियानाथ गौशाला, निम्बाहेडा जाटान	70	30	100

20	करेडा	शिव गौशाला, लादूवास	198	160	358
21	भीलवाड़ा	गोपाल गौ सेवा संस्थान महुआकलां	122	57	179
22	भीलवाड़ा	कामधेनु मंदिर समिति सांगानेर	228	64	292
23	भीलवाड़ा	माधव गौ विज्ञान संस्थान नौगांवा	170	140	310
24	भीलवाड़ा	श्रीरामगुरु गौशाला पुर	230	75	305
25	भीलवाड़ा	गोपाल गौशाला भीलवाड़ा	60	25	85
26	भीलवाड़ा	श्री सुरभि गौ सेवा समिति आटुण	558	132	690
27	सहाडा	भरका देवी गौशाला भरक	591	108	699
28	सहाडा	नंदी गौशाला चौकीखेडा चौकीखेडा	152	27	176
29	माण्डल	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति माण्डल	221	45	256
30	माण्डल	श्री आनन्द कृष्ण गौशाला सेवा समिति शाहपुरा	115	71	186
31	शाहपुरा	श्री पशुपति नाथ गौशाला शाहपुरा	150	120	270
32	आसीन्द	महावीर कामधेनु गौशाला बोरैला	150	20	170
33	आसीन्द	सवाईभोज देवनारायण मंदिर ट्रस्ट आसीन्द	151	70	221
34	आसीन्द	श्री शांतिनाथ गौशाला अंटाली अंटाली	85	28	113
35	आसीन्द	श्री बजरंग गोपाल गौशाला ब्राह्मणों की सरैरी ब्राह्मणों की सरैरी	57	15	82
36	आसीन्द	श्री महावीर गौशाला, मोड का निम्बाहेडा मोड का निम्बाहेडा	291	7	368
37	आसीन्द	मात्रो श्री गौ सेवा समिति अण्टाली	130	65	195
38	आसीन्द	महावीर गौशाला सेवा समिति पिंजरापोल करजालिया	180	161	341
39	रायपुर	कृष्ण गौशाला रायपुर	331	91	422
40	रायपुर	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान आशाहोली	309	43	352
41	रायपुर	श्री राधाकृष्ण गौशाला संस्था देवरिया	123	25	148
42	कोटडी	श्री देवनारायण गौशाला समिति कोटडी	190	90	280
43	माण्डलगढ़	श्री राम गौशाला संस्थान महुआ	60	20	80
44	माण्डलगढ़	श्री चारभुजा सिंगोली श्याम गौ सेवा संस्थान सिंगोली	60	20	80
45	माण्डलगढ़	श्री मां भगवती गौशाला समिति माण्डलगढ़	60	9	69
46	माण्डलगढ़	श्री सांवरिया गौशाला गौ सेवा समिति, लाडपुरा लाडपुरा	335	50	385
47..	माण्डलगढ़	कपिला गोपाल गौशाला, काछोला काछोला	45	5	50
48	जहाजपुर	श्री केसरीनाथ सुदामा गौशाला समिति अमरगढ़	140	42	182
49	जहाजपुर	संकटमोचन आदर्श गौशाला शक्करगढ़	201	71	272
50	जहाजपुर	श्री गोपाल गौशाला समिति बनास चौराहा, जहाजपुर	166	66	232
51	जहाजपुर	श्री भुतेश्वर महादेव गौरक्षा समिति लुहारी कलां	416	149	565
52	हुरडा	श्री नाकोड़ा भैरव गौशाला खरी का लाम्बा	325	25	350
53	हुरडा	गोपाल गौशाला गुलाबपुरा	75	125	200
54	करेडा	श्री केशरियानाथ गौशाला, निम्बाहेडा जाटान निम्बाहेडा जाटान	70	30	100
55	करेडा	शिव गौशाला, लादूवास लादूवास	198	160	358
56	करेडा	महावीर गौशाला एवं पशुरक्षा समिति करेडा	170	80	250
57	बनेडा	केशव गौ सेवा समिति बनेडा	250	140	390
		योग:	10372	3660	14032
जिला सिरोही					

1.	शिवगंज	श्री सतगुरु गौशाला सेवा समिति, बड़गांव	95	35	130
2.	शिवगंज	श्री काम्बेश्वर महादेव गौशाला, नवावास (बादला) शिवगंज	55	08	63
3.	शिवगंज	श्री रामजी गौशाला सेवा समिति पालडी (एम)	83	30	113
4.	आबूरोड़	श्री गोपालन गौशाला खारा जोड़ मावल तहसील आबूरोड़	76	09	85
5.	पिण्डवाडा	सूरीप्रेम जीव रक्षा केन्द्र संस्थान, परलाई तहसील पिण्डवाडा	416	125	541
		योग:-	725	207	932

इसी अनुक्रम में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे:-

**1. अनुदान दर: -**

गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 25/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

**2. पशु आहार-**

(i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ कमश: 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि कमश: 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

**3. निरीक्षण मापदण्ड :-**

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र. स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/ पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/ पं. समिति

**4. अनुदान की देयता:-**

यहां भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान गौशालाओं की तहसीलदार द्वारा की गई प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण दिनांक से देय होगा।

- (ii) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।
- (iii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्ट्रों का संधारण कराया जावे।:-
- क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर  
ख. पशुओं का रजिस्टर  
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर  
घ. दैनिक खर्च का हिसाब
- (iv) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

**5. भुगतान:-**


गौशाला द्वारा संरक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

**6. पशु संख्या में बढ़ोतरी :-**

विगत वर्षों में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई । उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशालाओं के पशुओं में वृद्धि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढ़े हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सकें।


7. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
8. किसी भी गौशाला संचालक संस्था जिसके माध्यम से गौशाला संचालित की जा रही है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं को स्वीकृति दी जाये।
9. पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
10. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 1(1)(1) आ.प. एवं सहा./सामान्य/ 14 /8892-910 दिनांक 03.7.2015 की पालना में, गौशाला अनुदान 90 दिवस तक या **15 जुलाई, 2015 तक** जो भी पहले हो तक के लिए अनुमति दी जावे, किसी भी गौशाला को 90 दिवस से अधिक अवधि का भुगतान देय नहीं होगा।

**उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।**

भवदीय,  
  
12/7/15  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर एवं जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

  
शासन संयुक्त सचिव